म्बर व तारी
हकाम जो ह
की तामील
री हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/30/2023	2023/332	23.06.2023	23.06.2023

1. जिनेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन जाति जैन, निवासी पेट्रोल पम्प रोड राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर (राज0)।

अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 03.02.1997 नामान्तकरण संख्या 168 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ

उपस्थितः—

01. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलाण्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 03.02.1997 नामान्तकरण संख्या 168 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट वकील को अपील प्रस्तुतीकरण पर ही सुना गया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मिन अपीलान्ट ने पूर्व खातेदार बसन्तीलाल, नोन्दाराम, सुकलाराम, मंगलाराम पिता मूला जाति माली साकिन देह खातेदार से उनकी कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी खसरा न0 270 रकबा 20 ऐयर, 271 रकबा 0.08 है0, 272 रकबा 0.06 है0, 273 रकबा 0.08 है0 किता 04 रकबा 0.43 है0 का 1/3 हिस्सा (14.34 है0) वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर से जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 14.05.1996 क्रय किया था और बाजाब्ता प्रतिफल अदा करके मौके पर कब्जा प्राप्त किया था वक्त खरीद से अपीलान्ट अपनी खरीदशुदा आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। मौके पर आाज भी कब्जा है। बयनामा की प्रति संलग्न है। अपीलान्ट के द्वारा बयनामा की प्रति पटवारी हल्का को इंतकाल बैय दर्ज करने हेतु दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा उक्त बयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम जिनेन्द्र कुमार जैन के स्थान पर जितेन्द्र कुमार जैन अंकित कर दिया गया। जिसके कारण अपीलान्ट का नाम राजस्व अभिलेख में जितेन्द्र कुमार जैन दर्ज हो गया जो बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलान्ट को अपनी खरीदशुदा आराजी को अन्य प्रयोजनार्थ कन्वर्ट कराने की आवश्यकता हुई तो अपीलान्ट ने दिनांक 30.05.2023 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने हेतु सम्पर्क किया तो पता चला की अपीलान्ट का नाम

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

राजस्व अभिलेख में जितेन्द्र कुमार जैन दर्ज हो रहा है। इसपर अपीलान्ट ने इन्तकाल की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि इंतकाल में ही अपीलान्ट का नाम बयनामा के अनुसार दर्ज न होकर जिनेन्द्र कुमार जैन के स्थान पर जितेन्द्र कुमार जैन दर्ज कर दिया गया है। जिससे आज यह अपील बिना देरी के जानकारी की दिनांक 30.05.2023 से मामूलन अंदर मियाद प्रस्तुत है। जेर दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपीलान्ट का सही नाम जिनेन्द्र कुमार जैन है जो बयनामा में सही प्रकार से दर्ज है इसी प्रकार अपीलान्ट के आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में भी अपीलान्ट का नाम जिनेन्द्र कुमार जैन है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 03.02.1997 इंतकाल संख्या 168 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ को निरस्त फरमाया जाकर मुताबिक बयनामा दिनांक 14.05.1996 के अनुसार अपीलान्ट का नाम जितेन्द्र कुमार जैन के स्थान पर जिनेन्द्र कुमार जैन दुरूस्त किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपीलान्ट को दिनांक 30.05.2023 को पटवारी हल्का से जानकारी होने पर मामूलन अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। विलम्ब का कारण नेक नियति पर आधारित होने से जेर दफा 05 मियाद अधिनियम के तहत माफ किये जाने व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 03.02.19997 को नामान्तकरण बयनामा संख्या 168 स्वीकार करते समय सहवन से अपीलान्ट का नाम जितेन्द्र कुमार जैन दर्ज कर दिया गया है जबकि दस्तावेजी साक्ष्य बयनामा दिनांक 14.05.1996 आधार कार्ड, राशन कार्ड में अपीलान्ट का नाम जिनेन्द्र कुमार जैन अंकित है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.1997 से स्वीकार किए गए नामान्तकरण बयनामा संख्या 168 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.1997 नामान्तकरण संख्या 168 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के बयनामा दिनांक 14.05.1996 के अनुसार विधिवत जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किए जाने की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)